

# फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

देवकरण पिता प्रताप बलाई नि. बागुदार वगैरा

बनाम

माधू पिता गोकल रेगर नि. बागुदार वगैरा

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 732/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
28.10.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे पिता जी के खाते की भूमि ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 91/5 रकबा 01.2960 है, स्थित है। मेरे पिता की मृत्यु उपरान्त मेरे द्वारा ही उक्त भूमि को उनके वारिसान द्वारा ही काश्त किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि कें अप्रार्थीगण पडौसी होने से उन्हें सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहा है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 91/5 रकबा 01.2960 है, की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	